FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0156 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/07/2024 18:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/07/2024 **Date To (दिनांक तक):** 27/07/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:40 बजे **Time To (समय तक):** 14:04 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/07/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/07/2024 18:53:25 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 10 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** Saomy Textile,Sitabari, Tonk Road Jaipur

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Ghanshaym Jayaswal

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Sitaram Jayswal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1982 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Saithal Marg, Ward No.02, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Saithal Marg, Ward No.02, DAUSA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Kailash Chandra Prajapati		पिता:Bhomaram	1. G-1,Sachin Lokesh Apartment,JAGATPURA,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,70,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,70,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 18.07.2024 को परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल पुत्र श्री सीताराम जायसवाल निवासी सैंथल मार्ग वार्ड न.2 पुलिस थाना कोतवाली जिला दौसा मोबाईल नम्बर) द्वारा एक प्रार्थना पत्र ब्यूरो में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया गया था कि " सेवा मे, श्रीमान उप महानिरीक्षक(द्वितिय), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर विषयः रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै दौसा का रहने वाला हुं तथा दौसा सिटी मे मेरी चार दुकाने शराब की वर्तमान मे संचालित है इन चारो दुकानों को निर्बाद रूप से चलाने की एवज मे दौसा जिला आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापती प्रती दुकान 20,000/-(बीस हजार रूपये) मांग रहा है मेरे पास पूर्व से तीन दुकान शराब की संचालित है जिन तीनो दुकानों के प्रती दुकान प्रतीमाह 20,000/-कुल 60,000/-(साठ हजार रूपये) मांग रहा है तथा माह अप्रेल, मई, जून के कुल 1,80,000/-रूपये रिश्वत के रूप मे मांग रहा है और नही देने पर दुकान पर 58C आबकारी नियम के तहत कार्यवाही करने की एवं दुकानों के लाईसेंन्स सस्पेन्ड करने की धमकी देता है एवं पिछले दो माह से मेरी दुकानों पर विभाग की गाडी भेजकर नाजायज परेशान करता है तथा मेरे मोबाईल पर अपने व्हासप नम्बर 9828171729 से बार बार कॉल करके रिश्वत के पैसे लेकर अपने पास आने के लिये कहता है मेरी दुकानों पर आबकारी विभाग की तरफ से कोई बकाया नही है वर्तमान मे माह जुलाई मे एक दुकान शराब की आबकारी विभाग से परिवार मे चाचाजी के नाम आंवटित हुयी है इस प्रकार मेरे पास चार शराब की दुकाने संचालीत है जिनमे से तीन पुरानी दुकाने है। इन पुरानी दुकानों को चलाने की एवज मे बंधी के रूप मे पिछले तीन माह के 1,80,000/-रूपये मांग रहा है। मै मेरे जायज काम के एवज मे उक्त भ्रष्ट अधिकारी कैलाश प्रजापती को रिश्वत नही देना चाहता हुं और रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुं मेरी चारो दुकाने अलग अलग व्यक्तियो के नाम है जिनको मे ही संभालता हुं मैने दो तीन दिन पहले श्री कैलाश प्रजापती के द्वारा बार बार परेशान करने पर 10,000/-रूपये दिये थे। अतः मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने श्रम करे एस.डी. घनश्याम जायसवाल प्रार्थी घनश्याम जायसवाल s/o श्री सीताराम जायसवाल जायसवाल भवन सैंथल रोड दौसा जाती जायसवाल उम्र 44 वर्ष M दिनांक 18.7.2024" जिस पर दिनांक 18-7-2024 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परिवादी की तीन शराब की दुकानो को निर्बाद रूप से चलने देने की ऐवज में प्रति माह 20,000/- रूपये के हिसाब से माह अप्रेल, मई, जून के 180000/- रूपये एवं 10000/- रूपये रिश्वत के पूर्व में ले लेना स्वीकार करना एवं शेष 1,70,000/- रूपये की मांग करना पाया गया। जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई। दिनांक 20-7-2024 स्वतंत्र गवाहान श्री कृष्ण अवतार एवं श्री अभिषेक सुमन उपस्थिति में परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल ने अपने पास से पांच पांच सौ रूपये के 340 नोट कुल 1,70,000/- रूपये प्रस्तुत किए। जिन पर श्रीमती रजनी मीना महिला कानि0 नं0 127 से फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर नोटो व परिवादी द्वारा प्रस्तुत अखबार पर लगवाया गया। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बानेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 20-7-2024 को परिवादी की वार्ता जरिये वाट्सअप कॉल आरोपी से वार्ता करवाई गई तो आरोपी का अपने गांव होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। दिनांक 26-7-2024 परिवादी ने जरिये टेलीफोन सूचना दी थी की शनिवार दिनांक 27-7-2024 को आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति आबकारी अधिकारी दौसा ने रिश्वती राशि लेने हेतु जयपुर बुलाया है। जिस पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को दिनांक 27-7-2024 को कार्यालय में तलब किया गया। दिनांक 27-7-2024 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही की गई। दिनांक 27-7-2024 को समय करीब 12.15 पीएम पर परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल पुत्र श्री सीताराम जायसवाल, उम्र 42 वर्ष निवासी सेंथल मार्ग वार्ड नं0 02, दौसा द्वारा दिनांक 20.07.2024 को रिश्वती राशि पेश की थी। जो दिनांक 20.07.2024 को तेयार की गई फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बानेट पाउडर एवं सुपुर्दगी नोट एवं डिजिटल वाईस रिकार्डर के अनुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत अखबार जिस पर दैनिक भास्कर जयपुर गुरूवार 18 जुलाई 2024 अंकित है में रबर बैण्ड लगाकर परिवादी की कार की डेस्कबोर्ड से उठवाकर आरोपी के अपने गांव होने के कारण दिनांक 20-7-2024 को ट्रेप कार्यवाही नहीं होने के कारण वापस कार्यालय की

आलमारी में सुरक्षित रखवाई थी, जिसको उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ से तलब शुदा श्री दयाचंद कानि0 नं0 7 से निकलवाई जाकर जिस अखबार में रबर बैण्ड लगाकर रखी गयी रिश्वती राशि 170000/- रूपये को निकलवाया जाकर रिश्वत राशि को दिनांक 20.07.2024 को तैयार की गई फर्द पेशकशी नोट से मिलान होने पर रिश्वती राशि 1,70,000/- रूपये जिनमे पांच-पांच सौ रूपये के 340 नोट है, उक्त रिश्वती राशि को पूर्व फर्द पेशकशी के अनुसार वापस उसी अखबार जिस पर दैनिक भास्कर जयपुर गुरूवार 18 जुलाई 2024 अंकित में रिश्वती राशि को लपेटकर उस पर रेबर बैण्ड लगाकर एक अखबार पर रखकर रिश्वती राशि वाले अखबार पर हल्का-हल्का फिनोलफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जाकर परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल की पहनी हुई पेंट की बांयी जेब में श्री दयाचंद कानि0 नं0 7 से रखवाए गए। जिसकी नियमानुसार फर्द पेशकशी नोट व दृष्टान्त फिनोल्फ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बनेट पाउडर एवं सुपुदर्गी नोट व सुपुर्दगी विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27-7-2024 को समय 1.05 पीएम पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक श्री सुनील सिहाग मय जाप्ता, श्री चांद मल स.उ.नि,श्री वीरेन्द्र सिंह कानि0 451, श्री ओमप्रकाश है.कानि0 133, श्री केशव चन्द है. कानि.,श्री होशियार सिंह कानि. मय परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल व स्वतंत्र गवाहान श्री कृष्णअवतार व श्री अभिषेक सुमन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के जरिये दो सरकारी वाहन मय चालक मय परिवादी के वाहन से गोपनीय कार्यवाही हेतु रवाना हुए। उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री मुलचंन्द मीना पुलिस निरीक्षक को मय टीम इमदाद हेतु हमराह लिया जाकर परिवादी की आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी दौसा से हुई वार्तानुसार सौम्य टेक्सटाईल, सीताबाड़ी, टोंक रोड़, जयपुर के आस पास पहूंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया। समय समय 02.04 पीएम पर परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल पुत्र श्री सीताराम जायसवाल, उम्र 42 वर्ष निवासी सैंथल मार्ग वार्ड नं0 02, दौसा ने सौम्य टेक्सटाईल, सीताबाड़ी, टोंक रोड़, जयपुर के अन्दर से अपने मोबाईल फोन नं0 [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील सिहाग के मोबाईल फोन नम्बर [redacted] पर मिस कॉल कर निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का निर्धारित ईशारा मिलते ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं आस पास खड़े ब्यूरो स्टॉफ को साथ लेते हुए सोम्य टेक्सटाईल, सीताबाड़ी, टोंक रोड़ जयपुर में प्रवेश हुए तो परिवादी श्री घनश्याम एवं एक व्यक्ति सौफे पर बैठे दिखाई दिए। इस पर परिवादी से पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने सौफे पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह कैलाश प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी दौसा है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति पुत्र श्री भोमाराम, उम्र 55 साल निवासी ग्राम महादेवपुरा, तूंगा, जयपुर हाल निवासी जी-1, सचिन लोकेश अपार्टमेंट, जगतपुरा जयपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, दौसा होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल ने बताया कि मै समय करीब 1.40 मिनट पर सोम्य टेक्सटाईल मे प्रवेश कर मैनगेट पर स्थित सोफा सेट पर मै तथा श्री कैलाश प्रजापति व अन्य व्यक्ति बैठे हुए थे मैने इनसे नमस्कार की व हाथ मिलाया। श्री कैलाश प्रजापति ने कहा कि मै चाय मंगवाता हूं परन्तु मैने चाय के लिए मना कर दिया फिर भी इन्होने चाय मंगवा ली जिस पर मैने आधा कप चाय पी। उसके बाद हमारे साथ बैठे हुए एक अन्य व्यक्ति को श्री प्रजापति बाहर छोड़ कर वापस अन्दर आकर सोफे पर बैठ गए फिर मैने कहा कि सर उधर सामने बैठते है जिस पर श्री कैलाश प्रजापति ने बोला कि अपन नीचे बेसमेन्ट मे चलते है जिस पर हम दोनो नीचे बेसमेन्ट मे आ गए। तभी इसी दौरान एक लड़का नीचे बेसमेन्ट मे आया। हम दोनो आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए हमारे बीच बातचीत हुई मैने मेरी जेब मे रखी रिश्वती राशि 170000/- रूपये का पेकेट की ओर ईशारा किया जिस पर श्री कैलाश प्रजापति ने कहा कि सामने साईड मे लगी केबिन मे रख दो, मै यह राशि रखने गया तो वहां पर एक आदमी मौजूद मिला जिसके बारे में मैने श्री कैलाश प्रजापति को बताया जिस पर उन्होने बोला कि बगल वाल रेक मे रख दो। इस पर मैने इनके कहेनुसार निर्धारित जगह बेसमेंट में लगी रेक मे रख दी थी तब मैने श्री कैलाश प्रजापति से कहा कि मैने पहले आपको दस हजार रूपये दे दिए थे अब एक लाख सत्तर हजार रूपये लेकर आया हूं इस माह के पैसे अभी मेरे पास नही है बाद मे दे दूंगा। इसी दौरान मैने निर्धारित ईशारा आपको कर दिया था। उसके बाद हम दोनो नीचे से आकर उपर सोफे पर बैठ गए थे। इस पर श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी दौसा से परिवादी से अभी-अभी कुछ समय पहले ली गई रिश्वती राशि 170,000/- के पेकेट के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि श्री घनश्याम जायसवाल जी को मै जानता हूं यह शराब के ठेको के सिलसिले के चक्कर में मेरे ऑफिस आता रहता है मेरा श्री घनश्याम जायसवाल से सम्पर्क होने के कारण उक्त शोरूम से रेगूलर कपड़ो की खरीददारी करता रहता है। इसके कपड़ो के कुछ पैसे बाकी रहना मेरा पुत्र श्री सोम्य प्रजापति बता रहा था आज भी यह कपड़े देखने के लिए ही मुझे फोन कर रहा था कपड़े दिखवाने के लिए ही यह मुझे नीचे लेकर गया था इसने रिश्वत की राशि 170000/- रूपये कब रख दिए इसकी मुझे जानकारी नही है और ना ही मैने इससे कोई रिश्वत के पैसे मांगे थे। इसकी बहन के यहां पर शादी होने के कारण इसने कपड़े शोरूम से खरीदना मेरी जानकारी मे है। इस पर परिवादी ने श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूंठ बोल रहे है मै आज तब इनसे मिलने इनके पुत्र के शौरूम पर आया तो पहले हम सोफे पर बैठकर बातचीत करते रहे इसी बीच सोफे पर बैठे हुए एक व्यक्ति को श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति बाहर छोड़कर वापस आकर सोफे पर बैठ गए फिर मैने कहा कि सर उधर

सामने बैठते है जिस पर श्री कैलाश प्रजापति ने बोला कि अपन नीचे बेसमेन्ट मे चलते है जिस पर हम दोनो नीचे बेसमेन्ट मे आ गए। तभी इसी दौरान एक लड़का नीचे बेसमेन्ट मे आया। हम दोनो आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए हमारे बीच बातचीत हुई मैने मेरी जेब मे रखी रिश्वती राशि 170000/- रूपये का पेकेट की ओर ईशारा किया जिस पर श्री कैलाश प्रजापति ने कहा कि सामने साईड मे लगी केबिन मे रख दो, मै यह राशि रखने गए तो वहां पर एक आदमी मौजूद मिला जिसके बारे में मैने श्री कैलाश प्रजापति को बताया जिस पर उन्होने बोला कि बगल वाल रेक मे रख दो। इस पर मैने इनके कहेनुसार निर्धारित जगह बेसमेंट में लगी रेक मे रख दी थी तब मैने श्री कैलाश प्रजापति से कहा कि मैने पहले आपको दस हजार रूपये दे दिए थे अब एक लाख सत्तर हजार रूपये लेकर आया हूं इस माह के पैसे अभी मेरे पास नही है बाद मे दे दूंगा। इसी दौरान मैने निर्धारित ईशारा आपको कर दिया था। जिस पर स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो स्टॉफ एवं परिवादी एवं श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति को साथ लेकर शौरूम के बेसमेन्ट पर पहूंचे तथा रिश्वती राशि के बारे में परिवादी से पूछा तो उसने स्वतंत्र गवाहान एवं श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति के समक्ष बेसमेन्ट में बनी लकड़ी की चौथी रेक की तरफ ईशारा कर बताया कि यहां पर रखवाया है रिश्वती राशि 170000/- रूपये का पेकेट। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण अवतार से उक्त रेक की तलाशी लिवाई गई तो लकड़ी की रेक के चौथे खण्ड में एक अखबार की लिपटा हुआ पेकेट मिला जिसको स्वतंत्र गवाहान से खुलवाया जाकर उसको चैक करवाया गया तो उसमें पांच पांच सौ रूपये के 340 नोट कुल 170000/- रूपये मिले जिनका मिलान कार्यालय में दिनांक 20-7-2024 को बनाई गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो नम्बरो से पुनः मिलान करवाया गया हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। जिनको स्वतंत्र गवाह श्री कृष्णअवतार के पास सुरक्षित रखवाए गए। चूंकि आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी दौसा द्वारा रिश्वती राशि 170000/- रूपये का पेकेट अपने हाथ में नही लेकर बेसमेंट में बनी रेक में रखवाए गए है ऐसी स्थिति में श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति के हाथो के धोवन नही लेने का निर्णय लिया गया। चूंकि आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी दौसा द्वारा रिश्वती राशि 170000/- रूपये का पेकेट अपने पुत्र के शौरूम के बेसमेंट में बनी रेक में रखवाए गए है ऐसी स्थिति में रिश्वती राशि जहां से बरामद हुई है वहां का धोवन लेने हेतु ट्रेप बॉक्स से एक प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर उसके शोरूम मे रखी प्लास्टिक की बोतल मे साफ पानी मंगवाकर प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी डालकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार किया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त तैयार शुदा घोल में रिश्वती राशि बरामद हुई वाले स्थान का धोवन लेने हेतु एक कपड़े की चिंदी लेकर उसके घोल में बारी-बारी से डूबोकर रिश्वती बरामदगी स्थल लकड़ी की रेक के चौथे खण्ड पर बारी-बारी से रगड़कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरनी ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा डालकर सील चीट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क डी-1,डी-2 अंकित किया जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।कपड़े की चिंदी को एक कपड़े की थैली मे रखकर सील चिट कर मार्क "सी" अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई। दर्ज रहे कि आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा रिश्वती राशि का पेकेट उसके पुत्र सौम्य प्रजापति के शौरूम सोम्य टेक्सटाईल, सीताबाड़ी, टोंक रोड़ जयपुर के बेसमेंट में रखवाए गए है तथा शोरूम में ग्राहको का आना जाना रहेगा तथा लिखापढ़ी करने हेतु पर्याप्त स्थान नही होने के कारण घटनास्थल के पास स्थिति पुलिस थाना सांगानेर पर जाकर लिखापढ़ी का निर्णय करते हुए परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टॉफ एवं श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी, धोवन के सेम्पल, रिश्वती राशि का पेकेट सहित सरकारी वाहनो एवं परिवादी के वाहन से समय 3.26 पीएम पर मौके से रवाना होकर समय करीब 3.35 पीएम पर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पर पहूंचकर प्रथम तल पर बने हॉल में लिखापढ़ी आरंभ की गई। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण अवतार के पास सुरक्षित रखवाया गया रिश्वती राशि के पेकेट को प्राप्त कर उसे खोला जाकर पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से पुनः मिलान करवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 340 नोट कुल 1,70,000/- रूपये हूबही वही नम्बरी होना पाए गए। उक्त 1,70,000/- रूपये एवं अखबार जिस पर दैनिक भास्कर जयपुर गुरूवार 18 जुलाई 2024 अंकित है को एक सफेद कागज के साथ सिल कर सील चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को सरसरी तौर पर सुना गया तो रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है।उक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता को सुनने से पाया गया कि रिकार्ड वार्ता में आरोपी द्वारा कहीं पर भी अपने पुत्र के शोरूम के कपडों के बकाया का जिक्र नहीं आया बल्कि आरोपी द्वारा दौराने रिश्वत लेन देन वार्ता में परिवादी के परिवार के व्यक्ति कालू की शराब की दुकान के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा यह कहने पर कि देखो मै तो बात करूगा नहीं कालू कालू उल्टे आदमी है इस पर आरोपी द्वारा यह कहा गया कि ठीक है ....फिर जूत लगाने के लिए रखूंगा मैं तथा आरोपी के कहने पर परिवादी द्वारा रिश्वती राशि रखने के उपरांत परिवादी ने आरोपी को बताया है कि इस माह के पैसे बाद में दूंगा, आदि वार्ताए हुई है। रिश्वत लेन देन से पूर्व दिनांक 20-7-2024 को हुई मोबाईल पर वाट्सअप वार्ता एवं रिश्वत लेन देन के समय की रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडीया तैयार की गयी। अब तक की कार्यवाही से श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति पुत्र श्री भोमाराम, उम्र 55 साल निवासी ग्राम महादेवपुरा, तूंगा, जयपुर हाल निवासी जी-1, सचिन लोकेश अपार्टमेंट, जगतपुरा जयपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, दौसा ने परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल पुत्र श्री सीताराम जायसवाल,

उम्र 42 वर्ष निवासी सेंथल मार्ग वार्ड नं0 02, दौसा की दौसा सिटी में शराब की तीन दुकान संचालित है जिनकी प्रति दुकान के 20,000/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब से माह अप्रेल, मई, जून 2024 तक का 180000/- रूपये मांग करना एवं मांग सत्यापन के दौरान 10,000/- रूपये पूर्व में प्राप्त कर लेना स्वीकार करना एवं शेष राशि 170000/- रूपये की रिश्वत राशि का लेन देन तय होने पर आज दिनांक 27-07-2024 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री घनश्याम जायसवाल से आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति जिला आबकारी अधिकारी दौसा द्वारा अपने पुत्र के सीताबाड़ी, टोंक रोड़ जयपुर स्थित शोरूम सौम्य टेक्सटाईल पर चालाकी बरतते हुए रिश्वती राशि का पेकेट अपने हाथो में नही लेकर शौरूम मे बने बेसमेन्ट में लगी लकड़ी रेक के चौथे खण्ड में रखवाए जहां से रिश्वती राशि 170000/- बरामद होने का कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) का पाया जाने पर आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति पुत्र श्री भोमाराम, उम्र 55 साल निवासी ग्राम महादेवपुरा, तूंगा, जयपुर हाल निवासी जी-1, सचिन लोकेश अपार्टमेंट, जगतपुरा जयपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, दौसा को नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति पुत्र श्री भोमाराम, उम्र 55 साल निवासी ग्राम महादेवपुरा, तूंगा, जयपुर हाल निवासी जी-1, सचिन लोकेश अपार्टमेंट, जगतपुरा जयपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, दौसा के विरूद् बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (सुनील सिहाग) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर।.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री कैलाश चन्द्र प्रजापति पुत्र श्री भोमाराम, निवासी ग्राम महादेवपुरा, तूंगा, जयपुर हाल निवासी जी-1, सचिन लोकेश अपार्टमेंट, जगतपुरा जयपुर हाल जिला आबकारी अधिकारी, दौसा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर मीना, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 191 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 820-23 दिनांक 29.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या–2, जयपुर। 2 शासन सचिव वित्त (राजस्व), विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3 पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NAVAL KISHORE MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/07/2024 10:

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)